न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 127/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/178)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी:–

अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 73 वर्ष निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–

1. मुलाराम पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति गहलोत माली निवासी मकान नं: 233, शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
4. उप पंजीयक, लुणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 62 दिनांक 22.11.2021 पट्टा बुक सं. 39, मिसल सं. 69/2021–22 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मनोज सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री सोहनलाल जैन, श्री अभिनव जैन (अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अनुपस्थित)

पंचायत निगरानी सं.– 128/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/179)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी:–

अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 73 वर्ष निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–

1. देवाराम पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति गहलोत माली निवासी ए–16, सर प्रताप कॉलोनी, पांच बत्ती चौराहा, रातानाडा, जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
4. उप पंजीयक, लुणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 65 दिनांक 22.11.2021 पट्टा बुक सं. 39, मिसल सं. 71/2021–22 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मनोज सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अप्रार्थी सं. 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

पंचायत निगरानी सं.– 129/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/180)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 73 वर्ष निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. श्री भीकाराम गहलोत जाति गहलोत माली निवासी मकान नं. 361, जनता कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
4. उप पंजीयक, लुणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 67 दिनांक 22.11.2021 पट्टा बुक सं. 39, मिसल सं. 74/2021–22 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मनोज सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत, श्री मनोहर सिंह शेखावत (अप्रार्थी संख्या 1)

पंचायत निगरानी सं.– 131/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/182)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 73 वर्ष निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. बाबुलाल पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति गहलोत माली निवासी मकान नं. 148 सेक्टर बी, रामेश्वर नगर, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. उप पंजीयक, लुणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 64 दिनांक 22.11.2021 पट्टा बुक सं. 39, मिसल सं. 72/2021–22 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मनोज सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अप्रार्थी सं. 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

पंचायत निगरानी सं.– 132/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/183)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 73 वर्ष निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 68 दिनांक 22.11.2021 पट्टा बुक सं. 39, मिसल सं. 73/2021–22 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1.अधिवक्ता श्री मनोज सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।

पंचायत निगरानी सं.– 133/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/184)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 73 वर्ष निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. कमला पत्नी स्व. श्री मंगलाराम जाति गहलोत माली निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, जोधपुर।
2. निर्मला पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र सैनी पुत्री स्व. श्री मंगलाराम जाति गहलोत माली निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, जोधपुर।
3. जयमाला पत्नी श्री प्रवीण तंवर पुत्री स्व. श्री मंगलाराम जाति गहलोत माली निवासी साबु वाली गली, मोती चौक, जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. कविता पत्नी श्री मनीष कच्छवाहा पुत्री स्व. श्री मंगलाराम जाति गहलोत माली निवासी बकतों जी का बेरा, चैनपुरा, जोधपुर।
5. मुमल पत्नी श्री महेन्द्र पुत्री स्व. श्रीमती तारा निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, जोधपुर। (दोहिती)
6. हैप्पी पत्नी श्री मनीष पुत्री स्व. श्रीमती तारा निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, जोधपुर। (दोहिती)
7. ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
8. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
9. उप पंजीयक, लुणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 66 दिनांक 22.11.2021 पट्टा बुक सं. 39, मिसल सं. 75/2021–22 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मनोज सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत (अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक)
3. अप्रार्थी संख्या 5, 6 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

पंचायत निगरानी सं.– 134/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/185)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 73 वर्ष निवासी मकान नं. 233 शिव मंदिर के पास वाली गली, रातानाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. प्रेम सिंह पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति गहलोत माली निवासी वार्ड सं. 11, चाचियों का बास, सालावास, तहसील लूणी, जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत सालावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
4. उप पंजीयक, लुणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 70 दिनांक 22.10.2014 पट्टा बुक सं. 72, मिसल सं. 414/2014–15 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मनोज सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत (अप्रार्थी संख्या 1)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

–निर्णय–

दिनांक : 30.06.2025

1. उक्त सातों निगरानियां ग्राम पंचायत सालावास, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर द्वारा निगरानीकर्ता अन्नाराम के पिता मांगीलाल पुत्र अचलाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत सालावास द्वारा आवासीय पट्टा सं. 49, मिसल सं. 31 वर्ष 1963–64 में जारी भूखण्ड पर ही नए सिरे से मांगीलाल के पुत्रों के पक्ष में निगरानीकार की स्वतंत्र सहमति के बिना गलत रूप से जारी करने के आधार पर सातों पट्टों को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2024 को पेश की गई है, जिमसें समान विषयवस्तु, समान विधिक प्रश्न एवं एक ही पूर्व संयुक्त परिवार के सदस्यों के मध्य विवाद होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है ताकि निर्णय में एकरूपता रहे। एक ही निर्णय से निस्तारण करने बाबत उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण सहमत है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2. (a)निगरानी सं. 127/2025 (अन्नाराम बनाम मूलाराम वगैरा) मिसल सं. 69/2021–22, संकल्प सं. 1 से जारी पट्टा सं. 62 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त करने हेतु पेश की है। (बुक संख्या 39)

   (b)निगरानी सं. 128/2025 (अन्नाराम बनाम देवाराम वगैरा) मिसल सं. 71/2021–22, संकल्प सं. 1 से जारी पट्टा सं. 65 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त करने हेतु पेश की है। (बुक संख्या 39)

   (c)निगरानी सं. 129/2025 (अन्नाराम बनाम लक्ष्मीदेवी वगैरा) मिसल सं. 74/2021–22, संकल्प सं. 01 से जारी पट्टा सं. 67 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त करने हेतु पेश की है। (बुक संख्या 39)

   (d)निगरानी सं. 131/2025 (अन्नाराम बनाम बाबुलाल वगैरा) मिसल सं. 72/2021–22, संकल्प सं. 01 से जारी पट्टा सं. 64 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त करने हेतु पेश की है। (बुक संख्या 39)

   (e)निगरानी सं. 132/2025 (अन्नाराम बनाम ग्राम पंचायत सालावास वगैरा) मिसल सं. 73/2021–22, संकल्प सं. 01 से जारी पट्टा सं. 68 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त करने हेतु पेश की है। (बुक संख्या 39)

   (f)निगरानी सं. 133/2025 (अन्नाराम बनाम कमला पत्नी स्व. मंगलाराम वगैरा) मिसल सं. 75/2021–22, संकल्प सं. 01 से जारी पट्टा सं. 66 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त करने हेतु पेश की है। (बुक संख्या 39)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(g)निगरानी सं. 134/2025 (अन्नाराम बनाम प्रेमसिंह वगैरा) मिसल सं. 414/2014–2015, संकल्प सं. 01 से जारी पट्टा सं. 70 दिनांक 22.10.2014 को अपास्त करने हेतु पेश की है। (बुक संख्या 72)

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। ग्राम पंचायत सांलावास से संबंधित अभिलेख मंगवाया गया।

4. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निगरानी मीमों अनुसार इस प्रकार है कि ग्राम सालावास के वार्ड सं. 11, चाचियों का बास में मांगीलाल पुत्र अचलाराम जाति माली के नाम से पट्टा सं. 49 तारीख 1963–64 को जारी हुआ था, जिस पर आज दिन तक निगरानीकार का पुश्तैनी कब्जा है, जिसमें निर्मित मकान में वह परिवार सहित निवासरत है, जिसमें कब्जा/हक को लेकर प्रत्यर्थीयों से विवाद रहा है तथा विवाद की सूचना निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत सालावास को दी थी परंतु आपत्ति को अनसुना करके पट्टा जारी करने की कार्यवाही की।

निगरानी कर्ता ने उक्त पैतृक संपति के बंटवारा बाबत एक दावा श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश सं. 07, जोधपुर महानगर में पेश किया था, जो लंबित है, जो अन्नाराम बनाम लक्ष्मीदेवी वगैरा मूल वाद सं. 11/2022 के नाम से है। उसके बाद जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण ने अपने–अपने हिसाब व नाप से ग्राम पंचायत से पट्टे जारी करवा लिये है तथा निगरानीकर्ता के नाम से बिना उसके आवेदन के पट्टा जारी कर दिया है जो कि बिना बंटवारा व निगरानीकर्ता की सहमति बिना जारी हुए है, जिन्हें जारी करने में नियमों की पालना नहीं की है तथा जाचं भी सही नहीं की गई है। पूर्व में जारी पट्टो की भूमि का नया पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। उप विभाजन हो सकता है। प्रारूप 22 नियम 148 के तहत आपत्तियां नहीं ली है तथा न ही आपत्तियों का निस्तारण किया है। मिली भगत से जाली हस्ताक्षर कर पट्टे जारी किये है। सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। प्रारूप 52 में जारी दिशा निर्देशों की पालना नहीं की गई है। गवाहों ने भी कब्जा, निगरानीकर्ता का बताया है। अतः नियम विरूद्ध जारी पट्टों को निरस्त किया जावे। निगरानी के साथ पट्टा सं. 49 दिनांक 01.09.1964 की फोटोप्रति पेश की, जो मांगीलाल पुत्र अचलाराम के नाम 2160 वर्गगज का जारी है।

5. अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश कर कथन किया है कि निगरानीकर्ता के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जिसका उपयोग नहीं किया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक झूठा वाद सं. 11/2022 अभी न्यायायल में लंबित है, अतः निगरानी असामयिक (pre mature)है, जिसमें निगरानीकर्ता के हको का निर्धारण होना है, फिर भी यह निगरानी पेश की है, जो धारा 10 सीपीसी के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रावधानों अनुसार स्थगित कर देनी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे रजिस्टर्ड है, जिन्हे सिर्फ सिविल कोर्ट ही निरस्त कर सकता है। जवाब में निगरानीकर्ता एवं प्रतिवादीगण को सगा भाई होना स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत सालावास ने निगरानीकर्ता व प्रतिवादीगण के पिता मांगीलाल के पक्ष में एक पट्टा सं. 49 मिसल सं. 31/1963–64 जारी सुदा है। वाद में निगरानीकर्ता ने भूखण्ड को मांगीलाल की स्वअर्जित संपति बताया है, परंतु निगरानी में पैतृक संपति बताया है। मांगीलाल ने स्वअर्जित संपति का प्रतिवादी मूलाराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है, जिसके कारण भूखण्ड पर उसका ही स्वामित्व है। ग्राम पंचायत ने कानूनी प्रकिया अपना कर पट्टे जारी किये है। वसीयत को किसी ने चुनौती नहीं दी है। निगरानीयां झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की है, जिन्हे खारिज किया जावे।

6. अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी पेश कर, जिला न्यायालय में लंबित वाद के परिप्रेक्ष्य में, निगरानीयों को स्थगित रखने की प्रार्थना की। जिसका जवाब निगरानीकर्ता ने पेश कर कथन किया है कि जिला न्यांयालय में उसके द्वारा मात्र बंटवारा का वाद पेश किया है न कि पट्टा खारिज करने के लिए किया गया है। निगरानी असामाजिक (Pre-mature) नही है, क्योंकि पट्टा अविधिक तरीके से जारी किया है। बंटवारा के लिए प्रस्तुत वाद व पंट्टा निरस्त करने के लिए प्रस्तुत निगरानी अलग–अलग अनुतोष के लिए है। अतः धारा 10 सीपीसी (Res-Sub-Judice) के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते है।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

8. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज सिंह ने निगरानी मेमो में वर्णित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता अन्नाराम के पिता मांगीलाल के पक्ष में सन् 1963–64 में पट्टा सं. 49, मिसल सं. 31 में ग्राम पंचायत ने जारी किया था, जो पुश्तैनी सामलाती पट्टा है तथा मांगीलाल की मृत्यु के बाद उनके सभी पुत्रों का उसमें हक है। मांगीलाल के 8 वारिसान है। निगरानीकर्ता के सिवाय शेष सातों ने ग्राम पंचायत से पृथक–पृथक पट्टे बना लिये, जबकि प्रार्थी ने कभी कोई आवेदन ग्राम पंचायत में नहीं दिया, फिर भी प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने की प्रकिया शुरू करने की जानकारी होने पर आपत्ति पेश की थी, जिसे अनदेखा करके प्रार्थी सहित सभी आठों के पट्टा बना दिये, जिसमें 1996 के नियमों की पालना नहीं की गई। पुश्तैनी भूखण्ड की भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा न ही प्रार्थी ने विभाजन की कभी सहमति

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दी थी। प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर उसके नाम का भी पट्टा जारी कर दिया, जिस पर पुलिस थाना विवेक विहार, जोधपुर में एफआईआर (243/2023) दर्ज करायी गई तथा प्रकरण अभी ACJM (आर्थिक अपराध) कोर्ट, जोधपुर महानगर के न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार पूर्व में जारी पट्टे पर ही मांगीलाल के उत्तराधिकारियों के मध्य विधिवत बंटवारा किये बिना तथा सभी सहमालिकों की स्वतंत्र सहमति के बिना तथा नियमों के विपरीत जारी पट्टों को निरस्त किया जावे। निगरानी स्वीकार की जावे।

प्रपत्र तीन में डीआईजी स्टांप से प्राप्त फोटोकॉपियां, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण) की नोटशीट, पुलिस थाना विवेक विहार से प्राप्त दस्तावेजों की फोटोप्रतियां तथा लोकायुक्त कार्यालय से किये गये पत्राचार की फोटोप्रतियां पेश की।

9. निगरानी सं. 133/2025, 129/2025 एवं 134/2025 में विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत ने बहस करते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थीगण सगे भाई है। इनके पिता मांगीलाल की तीन संपतियां है, जो रातानाडा, जोधपुर, सालावास (प्रश्नगत संपति) तथा सालवास में कृषि भूमि है। उक्त तीनों संपतियों का सन् 2006 में आपसी से बंटवारा किया गया तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज है तथा प्रत्येक का 1/8 हिस्सा बनता है। कृषि भूमियों में 5 भाई अपना-अपना हिस्सा का बेचान कर चुके है। निगरानीकर्ता ने सन् 2021 में न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश में बंटवारा का दावा किया है, जो अभी लंबित है, जिसमें उक्त तीनों संपतियां निहित है, जिसमें वादी अन्नाराम के 1/8 हिस्सा के बेचान/हस्तांतरण पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

प्रेमसिंह ने सन् 2014 में ग्राम पंचायत में 1/8 हिस्से पर पट्टे के लिए आवेदन किया। प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया। पट्टा पंजीकृत है। निर्माण की अनुमति लेकर आवास निर्माण कराया गया, जिसमें प्रेमसिंह रहते है। प्रार्थी द्वारा एतराज पेश करने का कथन असत्य व गलत है।

ग्राम पंचायत ने पुलिस में दर्ज एफआईआर में जवाब पेश किया है कि सन् 1963-64 में जारी पट्टा सं. 49 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। आक्षेपित पट्टों का ग्राम पंचायत की पत्रावलियों में सभी का सहमति पत्र उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक उपचार, अंतर्गत धारा 61 के तहत उपलब्ध होने के आधार पर निगरानी को खारिज करने का कथन किया। निगरानीयां 10 वर्ष बाद पेश की है। देरी से पेश करने का कोई

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संतोषजनक कारण नहीं दिया है। अपने कथनों के समर्थन में 2012 (3) WLC (Raj) 494(रमेशचंद बनाम रामचरण सिंह एवं अन्य) की नजीर पेश की तथा एफआईआर व शपथ पत्रों की फोटोप्रतियां पेश की। अतः निगरानीयां बेबुनियाद तथ्यों तथा विधि प्रावधानों के विरूद्ध पेश होने से खारिज की जावे।

10. अन्य अप्रार्थीगण की ओर से किसी ने भी बहस नहीं की।

11. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों, ग्राम पंचायत सालावास से प्राप्त पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं विधि प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार है कि

a) ग्राम पंचायत सालावास द्वारा निगरानीकर्ता व अप्रार्थीगण के पिता मांगीलाल पुत्र अचलाराम के पक्ष में पट्टा सं. 49, मिसल सं. 31 वर्ष 1963–64 को जारी किया गया, जिसकी फोटोप्रति निगरानी कर्ता ने पेश की है तथा अप्रार्थीगण भी इस तथ्य को स्वीकार करते है। पुलिस थाना विवेक विहार द्वारा मुकदमा सं. 243/2023 में भी दौराने अनुसंधान इसकी पुष्टि की है हालांकि ग्राम पंचायत सालावास उक्त पट्टे का अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं होने का कथन कर रही है। परंतु ग्राम पंचायत मांगीलाल का पुराना पुश्तैनी कब्जा होना मान रही है।

b) दिनांक 01.08.2014 को प्रेमसिंह पुत्र मांगीलाल ने पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया। मिसल सं. 414/2014–15 कायम कर प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 05.08.2014 को निरीक्षण कमेटी नियुक्त की गई। दिनांक 20.08.2014 को प्रस्ताव सं. 01 से पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर नियम 148 के अंतर्गत आपत्तियां मांगी गई। दिनांक 20.08.2014 को प्रारूप 22 में नोटिस जारी किया गया, जिसे ग्राम पंचायत, प्लॉट स्थल व गांवाई चौक में चस्पा किया जाना बताया है परंतु किस तारीख को चस्पा किया गया, इसका अंकन नहीं है। दिनांक 20.09.2014 को प्रस्ताव सं. 01 से प्रेमसिंह को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 13.10.2014 को राशि जमा होने पर नियम 157(1) के तहत पट्टा बुक सं. 72 पट्टा सं. 70 प्रारूप 23 क में जारी किया गया है। प्रेमसिंह की पत्रावली में मांगीलाल के सभी उत्तराधिकारियों की सहमति का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुश्तैनी कब्जा होने का लिखा है तथा मांगीलाल के अन्य वारिसान बाबत कोई जिक्र नहीं है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c) इसी प्रकार मिसल सं. 69/2021–222, 71/2021–22, 72/2021–22, 73/2021–22 को दिनांक 28.09.2021 को एवं मिसल सं. 74/2021–22,, 75/2021–22 को दिनांक 29.09.2021 को कायम कर मांगीलाल के कब्जे की पुश्तैनी भूमि में पुत्रों/पौत्रों के नाम पट्टे जारी करने का प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021 को नियम 146 के तहत पारित कर निरीक्षण कमेटी की नियुक्ति की। उक्त सभी मिसलों में कमेटी की रिपोर्ट्स दिनांक 20.10.2021 की पंचायत बैठक में पेश होने पर प्रस्ताव सं. 06 से आपसी सहमति पत्र दिनांक 29.01.2006 अनुसार पुराने कब्जों के आधार पर पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई। प्रारूप 22 में दिनांक 20.10.2021 को नोटिसेज जारी कर चस्पा करना बताया है तथा दिनांक 22.11.2021 को प्रस्ताव सं. 01 से उक्त सातों मिसलों में नियम 157(1) के तहत पट्टे जारी करने का निर्णय लिया। दिनांक 26.11.2021 को राशि जमा होने पर प्रारूप 23 क में पट्टा जारी किया गया है।

d) मिसल सं. 69/2021–22 दायरा दिनांक 28.09.2021 में मूल संयुक्त प्रार्थना पत्र उपलब्ध है जिसमें मांगीलाल के आठ पुत्र की वंशावली अंकित है तथा प्रार्थना पत्र पर कमला, देवाराम, मूलाराम, लक्ष्मीदेवी, पुष्पादेवी, बाबूलाल के हस्ताक्षर प्रतीत होते है परंतु इस प्रार्थना पत्र पर अन्नाराम व प्रेम सिंह के हस्ताक्षर नहीं है तथा यह सहमति पत्र सरपंच या नोटरी से प्रमाणित नहीं है। इस प्रार्थना पत्र में दिनांक 29.01.2006 को आपसी सहमति से मांगीलाल की संपति का बंटवारा करने का उल्लेख किया गया है, परंतु 29.01.2006 के बंटवारा बाबत कोई लिखित पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रार्थना पत्र के संलग्न एक फोटोप्रति कागज पर सिर्फ नाम लिखे हुए है, जिसमें संपति विवरण नहीं है तथा उसका बंटवारा का कोई उल्लेख ही नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत ने इसे बंटवारा मानकर अलग–अलग प्रार्थना पत्र लिये तथा अलग अलग मिसले खोलकर पडौस दर्शाकर पट्टे जारी कर दिये। ग्राम पंचायत ने बंटवारा को नियमानुसार प्रमाणित नहीं किया है।

रोचक तथ्य यह है कि निगरानी कर्ता अन्नाराम के नाम से भी पट्टा जारी किया गया है, परंतु अन्नाराम ने कोई प्रार्थना पत्र ही ग्राम पंचायत में पट्टा जारी करने बाबत पेश नहीं किया था परंतु मिसल सं. 73/2021–22 से पट्टा सं. 68 दिनांक 22.11.2021 को दो सौ रूपये की राशि जमा करके ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच ओमाराम के हस्ताक्षरों से पट्टा तैयार किया गया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है, परंतु अन्नाराम के प्रार्थना पत्र व पट्टे पर हस्ताक्षर हीनहीं है। जिसे अपास्त करवाने हेतु निगरानी सं. 132/2025 पेश हुई है।

e) उक्त छः मिसलों में सभी पट्टे एक ही तारीख के एक ही प्रस्तावों से जारी होना पाया जाता है, परंतु प्रारूप 22 में जारी नोटिस दिनांक 20.10.2021 को किस तारीख को वर्णित स्थलों पर चस्पा किये गये है। इसका उल्लेख किसी भी नोटिसों की पुश्त पर किये गये पृष्ठांकनों में अंकित नहीं है जिसके अभाव में नियम 148 में किये गये न्यूनतम एक माह की अवधि की गणना करना संभव नहीं है तथा इस आज्ञात्मक प्रक्रिया के प्रावधान का उल्लंघन होने से जारी किये गये सभी पट्टे अवैध व अपास्त योग्य है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प दिनांक 22.11.2021 नियमों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। इस प्रावधान की अवहेलना होने से सार्वजनिक आपत्तियां पेश नहीं होना संदेहास्पद है। प्रार्थना पत्र पर अन्नाराम के हस्ताक्षर नहीं होना ग्राम पंचायत व पुलिस भी मान रही है।

f) अप्रार्थी/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ आक्षेप किये है जिनका निस्तारण किया जाना, यह न्यायालय उचित समझता है। मुख्य आक्षेप निम्न है:-

i. धारा 10 सीपीसी के तहत इस निगरानी की सुनवाई स्थगित की जावे।
ii. जारी किये गये पट्टे रजिस्टर्ड है, जिन्हे निगरानी में खारिज नहीं किया जा सकता।
iii. सिविल कोर्ट में स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा का दावा लंबित है।
iv. धारा 61 के अंतर्गत अपील का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
v. निगरानी देरी से पेश की है।
vi. आपसी सहमति नहीं है।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

उक्त आक्षेपों का निस्तारण निम्न न्यायिक दृष्टांतों से किया जा रहा है:-

A. <u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण</u>:-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने SBCWP No. 10299/2016 (कलावती देवी बनाम नाथूसिंह वगैरा) में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2016 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"In the opinion of court the proceedings under section 97 of the act of 1994 pending before the trial court cannot be termed as a suit as the said proceedings are quasijudicial proceedings and, therefore the application

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

filed by the petitioner under section 10 read with section 151 CPC was not maintainable.The proceedings pending before it was not equivalent to an civil suit. The case for interference is made out. The writ petition is dismissed."

उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अप्रार्थीगण द्वारा धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

B. पंजीबद्ध पट्टों को भी धारा 97 के अंतर्गत निगरानी में अपास्त किया जा सकता है, इस संबंध में अब कोई शंका नहीं रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समय–समय पर न्यायिक विनिश्चयों से स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय इस प्रकार है:–

1. घेवरचंद बनाम राज. राज्य–RJT (2017)3 1995
2. नागरमल बनाम एडीएम सीकर– 2013 (1) WLC (Raj.) 768
3. नगर परिषद पाली बनाम दीनदयाल– DBSAW No. 485/2013 RHC Jodhpur
4. झूमरलाल बनाम एडीएम II, जोधपुर– DB Civil SAW No. 656/2017 RHC Jodhpur
5. कमला देवी बनाम स्टेट– DBCSAW No. 136/2017 D/d 27-03-2017
6. मिश्रीमल बनाम स्टेट- SBCWP No. 5206/2019- D/d- 21-09-2016 RHC Jodhpur

उक्त न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अगर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आबादी भूमि पर विधि प्रावधानों की अवहेलना कर भूखण्डों को विक्रय किया जाता है तथा निगरानी अंतर्गत धारा 97 में ऐसे पट्टे अपास्त योग्य पाये जाते है तो ऐसे अवैध पट्टे निरस्त किए जा सकते है, भले ही ऐसे अवैध पट्टो का भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के तहत पट्टो का पंजीयन करवाया जा चुका है।

C. Division Bench of Rajasthan High Court Jodhpur in DBSAW No. 542/2006 LRs of Hukmi chand v/s State of Rajasthan, held in para 5 as under:

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

"5 Indisputably, by way of civil suits, the appellants have sought perpetual injuction against the private respondants. herein, not to disturb their peaceful possession over the plots in question. It is matter of record that the orders impunged in the writ petitions, cancelling the Pattas issued in favour of the appellants, have been passed by revisional authority, during the pendency of civil suits. Admittedly, the legallity of the order passed by the additional Collector Jalore, cancelling the Pattas issued in favour of the appellants, is not the subject matter of suits pending".

उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह प्रतिपादित किया गया है कि सिविल न्यायालयों में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद लम्बित होने पर भी अवैध पट्टो को कलक्टर द्वारा निगरानी में खारिज किया जा सकता है क्योंकि सिविल कोर्ट में लम्बित वाद टाईटल घोषणा का नहीं है।

D.(i) S.B.C.W.P. NO. 11006/2012 (नागरमल बनाम अतिरिक्त कलक्टर सीकर) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ने दिनांक 30.07.2012 को पारित निर्णय में व्यथित व्यक्ति (Aggrieved person) एवं हितबद्व व्यक्ति (Interested person) की व्यांख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज अधि 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत उपलब्ध उपचार व्यथित व्यक्ति (Aggrieved person) के लिए है जबकि धारा 97 के अंतर्गत निगरानी हितबद्ध व्यक्ति के लिये है तथा 97 का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अतः धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने बाबत कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अवैध रूप से जारी पट्टे को निरस्त करने पर कोई रोक नहीं है। उक्त व्यवस्था पन्नालाल के प्रकरण में भी दी गई है।

(ii) SBCWP No. 7076/2005 (ढलाराम बनाम स्टेट) में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2009 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में निम्न मत प्रतिपादित किया हैः–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

"Suit in civil court was for permanent injunction, it was not a declaratory suit. Validity of Patta was not a matter directly and substantialy in issue in the said suit. Thus Patta has not acquired immunity from enquiring validity of Patta. No pronouncement by Civil court about validity of Patta."

उक्त व्यवस्था बुन्दूखान में भी दी गई है। SBCWP No. 5324/2022 RHC Jaipur.

E. चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य–2000(2)WLC(Raj.)1 में राज. उच्च न्यायालय की फुल बैंच ने इस प्रकार मत व्यक्त किया है:–

"A Patta can be challenged at any point of time, if the same has not been issued after following due process of law." उक्त निर्णय अनुसार विधि प्रकिया की अनदेखी करके जारी किये गये पट्टों को कभी भी निरस्त किये जा सकते है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2012(3) WLC (Raj.) 494 में पट्टा विधिक प्रक्रिया से जारी होना माना गया है, अतः हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों की रोशनी में यह नजीर लागू नहीं होती है।

F. In S.B.C.W.P. No. 5991/2022 RHC Jodhpur-It was held as under:

"Patta issued is found to be correct, and registered, revisional court has no jurisdiction to test the forgery committed in the Patta by anybody including respondent. Revision petition is barred by the jurisdiction and Civil court has jurisdiction to adjudicate the dispute. Writ Petition dismissed."

In Banshi lal V/S State of Rajasthan, Hon'ble Raj. High court held in SBCWP No. 16564/2021 (D/d-08-02-2024) as under:

"If there is an ancestral property for which a Patta is to be issued and the shares in the property had not been

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

distributed and divided, the allotment of Patta should not be done in favour of one party unless it is brought before the authority that all the other parties have relinquished their rights in favour of one person or there is no dispute with respect to grant of the Patta in favour of one of the parties."

उक्त न्यायिक दृष्टांतानुसार संयुक्त पुश्तैनी भूमि पर सभी पक्षकारों के हिस्सों का तय किये बिना तथा सभी की संहमति के बिना कुछ हिस्सेदारों को अकेले ही पट्टे जारी नही किये जा सकते।

12. उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादग्रस्त आवासीय भूखण्ड मांगीलाल पुत्र अचलाराम के कब्जे में था, जिस बाबत ग्राम पंचायत सालावास ने मिसल सं. 31/1963–64 में पट्टा सं. 49 दिनांक 01.09.1964 को निगरानीकर्ता अनुसार जारी किया गया, जिसे एफआईआर सं. 243/2023 में पुलिस थाना विवेक विहार तथा अप्रार्थी भी स्वीकार करते है तथा ग्राम पंचायत सालावास मांगीलाल का पुराना पुश्तैनी कब्जा मान रही है। मांगीलाल की मृत्यु के बाद निर्विवाद रूप से उनके 8 पुत्रों का कब्जा माना जा रहा है परंतु ग्राम पंचायत की मिसलों में उपलब्ध अभिलेखों अनुसार सभी आठों पुत्रों ने मांगीलाल के पट्टा सं. 49 में वर्णित भूमि का सभी भुजाओं का सही नाप दर्शाकर, नक्शा नहीं बनाया तथा ऐसे नक्शे के आधार पर आठों पक्षों ने आपसी स्वतंत्र सहमति से नक्शे में प्लॉट बांटकर (विभाजन कर), अपने हिस्से अनुसार भूमि का क्षेत्रफल व भुजाओं का नाप दर्शाकर बंटवारा पत्र तैयार नहीं किया है तथा ऐसे बंटवारा इकरारनामा को सक्षम प्राधिकारी से तस्दीक करवाकर ग्राम पंचायत में पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने भी इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है तथा अंकित किया है कि अन्नाराम अनुपस्थित है तथा उसके प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत ने बिना वैद्य बंटवारा दस्तावेज के, मनमर्जी से कयासों के आधार पर अपने स्तर से ही बंटवारा प्रमाणित किये बिना ही बंटवारा कर कुछ सहखातेदारों की इच्छानुसार पट्टे जारी किये है, जो गलत है। निगरानीकर्ता स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत से अपनी मर्जी से बिना आवेदन किये ही पट्टा जारी कर दिया, जबकि मांगीलाल के सभी वारिसान की बंटवारा में स्वतंत्र व स्पष्ट सहमति नहीं थी तथा उसी कारण से मुकदमें बाजी शुरू हो गई तथा फौजदारी मुकदमें (243/2023) के अलावा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कोर्ट महानगर, जोधपुर में वाद सं. 11/2022 लंबित है तथा इस न्यायालय में सभी पट्टों को निरस्त करने हेतु धारा 97 के अंतर्गत निगरानियां पेश हुई है।

पूर्वोक्त पैरा 11(f)(F) में संदर्भित न्यायिक दृष्टांत बंशीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित मतानुसार, पुश्तैनी भूमि में पट्टा सभी हितबद्ध व्यक्तियों की सहमति से ही दिया जा सकता है। इस बाबत मांगीलाल की जायदाद को विभाजित करने का वाद सं. 11/2022 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में सभी पक्षकारों को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जायेगा तथा बंटवारा की डिक्री जारी की जायेगी। अतः सभी पक्षकारों की सहमति के बिना पुश्तैनी संयुक्त आबादी भूमि में, राज्य सरकार के नियमों के तहत भी कुछ व्यक्तियों को भूखण्ड विशेष का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता तथा नियमों के विपरीत जारी ऐसे पट्टे निरस्त योग्य है। इसी प्रकार नियम 148 की पूर्णतः पालना नहीं की गई है। उक्त अनियमितता ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से ही साबित है।

इसके अतिरिक्त उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों अनुसार निगरानीधीन सभी पट्टे व ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत पारित सभी संकल्प अवैध होने से अपास्त योग्य है तथा प्रस्तुत निगरानीयां स्वीकार योग्य है। माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय अनुसार आक्षेपित भूखण्ड का बंटवारा पक्षकारों के बीच हो जायेगा तथा ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे अवैध पट्टों को यथावत रखना यह न्यायालय उचित नहीं मानता है। पुलिस अनुसंधान में निगरानीकर्ता के आवेदनों पर हस्ताक्षर ही नहीं होने से जाली व कूटरचित दस्तावेज तैयार करना प्रमाणित नहीं माना है, परंतु यह पाया है कि अन्नाराम के प्रार्थना पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं है तथा अन्य किसी व्यक्ति ने अन्नाराम के फर्जी हस्ताक्षर नहीं किये है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध शिकायतकर्ता ने प्रोटेस्ट पिटिशन पेश कर रखी है।

इसी प्रकार पंचायत स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि अन्नाराम की ओर से प्रार्थना पत्र व राशि उसके भाई मंगलाराम ने पेश की जो कार्यवाही विवरण से भली भांति प्रमाणित है।

आदेश

13. अतः निगरानीकर्ता अन्नाराम गहलोत द्वारा प्रस्तुत निगरानी सं. 127/2025, 128/2025, 129/2025, 131/2025, 132/2025, 133/2025 व 134/2025 स्वीकार की जाती है तथा–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(A) मिसल सं. 69/2021–22, पट्टा बुक सं. 39 का पट्टा सं. 62 दिनांक 22.11.2021 बहक मूलाराम पुत्र मांगीलाल तथा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021, प्रस्ताव सं. 06 दिनांक 20.10.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाता है।

(B) मिसल सं. 71/2021–22, पट्टा बुक सं. 39 का पट्टा सं. 65 दिनांक 22.11.2021 बहक देवाराम तथा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021, प्रस्ताव सं. 06 दिनांक 20.10.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाता है।

(C) मिसल सं. 74/2021–22, पट्टा बुक सं. 39 का पट्टा सं. 67 दिनांक 22.11.2021 बहक लक्ष्मी देवी तथा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021, प्रस्ताव सं. 06 दिनांक 20.10.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाता है।

(D) मिसल सं. 72/2021–22, पट्टा बुक सं. 39 का पट्टा सं. 64 दिनांक 22.11.2021 बहक बाबुलाल तथा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021, प्रस्ताव सं. 06 दिनांक 20.10.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाता है।

(E) मिसल सं. 73/2021–22, पट्टा बुक सं. 39 का पट्टा सं. 68 दिनांक 22.11.2021 बहक अन्नाराम तथा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021, प्रस्ताव सं. 06 दिनांक 20.10.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाता है।

(F) मिसल सं. 75/2021–22, पट्टा बुक सं. 39 का पट्टा सं. 66 दिनांक 22.11.2021 बहक मंगलाराम तथा प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 05.10.2021, प्रस्ताव सं. 06 दिनांक 20.10.2021, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाता है।

(G) मिसल सं. 414/2014–15, पट्टा बुक सं. 72 का पट्टा सं. 70 दिनांक 20.09.2014 तथा प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 05.08.2014, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.08.2014, प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 20.09.2014 को अपास्त किया जाता है।

14. निर्णय की प्रति तहसीलदार, लूणी पदेन उप पंजीयक लूणी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि

(i) दिनांक 10.01.2022 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 330 कमांक 202203063100119 बहक मूलाराम (पट्टा सं. 62)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(ii) उक्त पुस्तक व जिल्द के कमांक 202203063100156 दिनांक 11.01.2022 बहक देवाराम (पट्टा सं. 65)

(iii)पुस्तक सं. 1 जिल्द 330 में कमांक 202203063100155 दिनांक 11.01.2022 बहक लक्ष्मीदेवी (पट्टा सं. 67)

(iv)पुस्तक सं. 1 जिल्द 330 के कमांक 202203063100158 दिनांक 11.01.2022 बहक बाबुलाल (पट्टा सं. 64)

(v)पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 330 कमाक 202203063100157 दिनांक 11.01.2022 बहक मंगलाराम (पट्टा सं. 66)

आपके कार्यालय में उक्त विवरणानुसार ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी आवासीय पट्टे पंजीबद्ध हुए है, जिन्हे इस निर्णय द्वारा अपास्त किया गया है। अतः उक्त पट्टों की कार्यालय प्रति पर पट्टा निरस्तीकरण का नोट अंकित कर प्रमाणित करे।

15. निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत सालावास को मूल अभिलेख सुरक्षित रूप से तुरंत लौटाया जावे।

16. इन निगरानीयों में लंबित अन्य सभी प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

(जवाहर चौधरी) 30/6/25
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 30/6/25
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर